वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2010

सं. 35/2010-आयकर

का.आ. 1185(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 732(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में, कॉलम (4) में, क्रम संख्या 82 के सामने प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"केरल राज्य में, कोझीकोड, मालाप्पुरम, वायनाड, कन्नूर, कासारगोड जिले तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का माहे क्षेत्र ।"

[फा. सं. 189/6/2009-आईटीए-I]

पदम सिंह, अवर सचिव (आईटीए-I)

टिप्पणी :—प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 732(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 715(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 के तहत संशोधित की गई ।